N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0202 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/08/2025 17:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 20/03/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:10 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/08/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/08/2025 17:19:15 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 06 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** COLLECTORATE PARISAR ALWAR STHIT ST/SC/CELL, KARAYALYA KAKSH

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): CHANDRA PRAKASH ARORA

(b) Father's Name (पिता का नाम): SURAJBHAN

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1942 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	47, PANCHVATI, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	47, PANCHVATI, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHOKAT KHAN		पिता:JASMAL KHAN	1. BADABAS,LXMANGARH,ALWA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2025 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महेन्द्र कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के मोबाईल पर मोबाईल नम्बर [redacted] से जरिये वाट्सअप कॉल आया और बताया कि मैं चन्द्र प्रकाश अरोडा पुत्र श्री सूरजभान, उम्र 83 वर्ष निवासी 47, पंचवटी अलवर बोल रहा हूं मैं नगली सर्किल अलवर पर खडा हूं मेरे पोता दिव्यांशु के खिलाफ पुलिस थाना सदर में एससी एसटी का मुकदमा दर्ज है जिसकी जॉचं डॉक्टर पूनम सीओ, एससी एसटी सैल अलवर द्वारा की जा रही है, उसके रीडर श्री शौकत खान द्वारा मेरे परिचित से मेरे को मिलने के लिए कहा है और पोते दिव्यांशु का मुकदमे से नाम निकलवाने के लिए रिश्वत मांग कर रहे है। आप मेरे से नंगली सर्किल पर मिले जिससे मैं, डॉक्टर पूनम, सीओ एससी एसटी अलवर व उसके रीडर शौकत खान से मेरे पोते का नाम मुकदमे से निकलवाने के लिए रिश्वत मांग सत्यापन करवा सकूं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को वही रूकने की हिदायत दी गई। तत्पष्चात वक्त करीब 1.50 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर अपने पास सुरक्षित रखकर मय सुण्डाराम हैड कानि. 02 के साथ प्राईवेट वाहन से कार्यालय मे रवाना होकर परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा द्वारा बताये गये स्थान नगली सर्किल अलवर पहूंचे, परिवादी को मोबाईल पर वाट्सएप कॉल किया, जहॉ परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश सर्किल पर खडे हुये मिले, जिनकों मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुये गाडी में बैठाया। जिस पर परिवादी ने गाडी में बैठे हुये अपना नाम चन्द्र प्रकाश अरोडा पुत्र श्री सूरजभान उम्र 83 वर्ष निवासी 47, पंचवटी अलवर बताते हुये अपने पास से प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्ताक्षरशुदा मय आधार कार्ड की फोटो कॉपी व मुकदमा नम्बर 127/2025 पुलिस थाना सदर अलवर की फोटो कॉपी स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरयुक्त हुई देते हुये बताया कि "पुलिस थाना सदर अलवर में दिनांक 4/3/2025 को FIR no. 127/2025 श्री हेमन्त कुमार द्वारा दर्ज कराई गई है। उक्त थ्म् में अन्य नामजद लोगों के साथ मेरे पोते श्री दिव्यांशु पुत्र श्री भारत को आरोपी बनाया गया है। उक्त FIR की जांच श्रीमती डा0 पूनम बवए co, sc/st cell अलवर द्वारा की जा रही है जो अपने रीडर श्री शौकत खान खान के मार्फत मुझसे एक लाख रू (1,00000/-) की रिश्वत राशी की मांग की जा रही है, जबकि मेरा पोता उक्त FIR की घटना के समय मौके पर नहीं था। मेरे पोते का नाम पुलिस द्वारा नाजायज लिखवाया गया है। अब उसका नाम FIR से निकालने के नाम पर मुझसे उनके रीडर द्वारा एक लाख की रिश्वत मांग की जा रही है। मैं डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर व उसके रीडर शौकत खान को रिश्वत नहीं देना चाहता उन दोनों को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं कृपया मेरे प्रार्थना पत्र पर कानूनी कार्यवाही करें।" परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर व उसके रीडर शौकत खान से कोई रंजिश या दुष्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाता है। श्री सुण्डाराम हैड कानि. का परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री सुण्डाराम हैड कानि. को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपने पोते दिव्यांशु के खिलाफ पुलिस थाना सदर में दर्ज मुकदमा में श्री शौकत खान, रीडर द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा श्री शौकत खान रीडर से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बाद रिश्वत मांग सत्यापन के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें, साथ ही श्री सुण्डाराम हैड कानि. को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देष कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। मेरे समक्ष कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर गाडी में बैठे ही श्री सुण्डाराम हैड कानि0 द्वारा चालू करवाकर परिवादी को दिया गया। परिवादी गाडी से उतर कर अपनी वैगनार गाडी में बैठकर जिसमें पहले से परिवादी का परिचित रिंकू बैठा था के साथ रवाना हुआ। परिवादी की गाडी के पीछे पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री सुण्डाराम हैड कानि. के रवाना होकर भवानी तोप सर्किल से

आगे कलेक्ट्रेट परिसर पहूंचे जहॉ परिवादी गाडी से उतर कर डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के कार्यालय में जाने लगा उसके पीछे पीछे श्री सुण्डाराम हैड कानि. को रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही परिवादी व श्री सुण्डाराम हैड कानि. मांग सत्यापन वार्ता कराके आने के इन्तजार में अपनी प्राईवेट गाडी में ही इन्तजार करने लगा। लगभग 40-45 मिनट बाद परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा व श्री सुण्डाराम हैड कानि. कलक्ट्रेट परिसर से बाहर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की गाडी के पास आये जिन्हें गाडी में बैठाया गया और परिवादी ने अवगत कराया कि मैं डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के कार्यालय में पहूंच कर उनके रीडर शौकत खान से मिला तो उन्होनें कहा है की मेडिकल रिपोर्ट आने दो हम आपको बता देंगे तथा रीडर शौकत खान ने मेरे पौते दिव्यांशु से संबंधित मुकदमे 127/25 की फाईल मंगवाकर उसके पीछे मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] मेरे से पूछकर लिख लिये और कहा हम आपसे सम्पर्क कर लेंगे तथा मैं कार्यालय से रवाना होकर नीचे आया जहॉ साईड में ले जाकर मेरे से आपके कार्यालय के श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया इसके बाद हम आपके पास आ गये। इसके बाद परिवादी ने अपनी उम्र का हवाला देकर कहा मेरी तबीयत खराब है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को डाक्टर पूनम co, sc/st cell के रीडर शौकत खान द्वारा पुनः बुलाने पर कार्यालय आने तथा पुनः मांग सत्यापन कराने व गोपनीयता की हिदायत देकर परिवादी को उसकी गाडी से रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री सुण्डाराम हैड कानि. गाडी से एसीबी कार्यालय के लिए रवाना हुये। तत्पश्चात वक्त करीब 4.20 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री सुण्डाराम हैड कानि. के परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा द्वारा करवाई जा रही गोपनीय कार्यवाही से गये हुये कलेक्ट्रेट अलवर से षिवाजी पार्क पहूंचा जहॉ पर परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा का वाट्सअप कॉल आया और बताया कि मेरे परिचित रिंकू के पास डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के कार्यालय से उसके रीडर शौकत खान का फोन आया है और मेरे को कार्यालय में दुबारा अभी बुला रहे है आप दुबारा रिकॉर्डर दे दो जिससे मैं रिश्वत मांग सत्यापन करा सकूं मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं आपको मोती डूंगरी सर्किल पर बने पार्क पर मिल जाऊंगा आप वही आ जाओं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को मोती डूंगरी सर्किल पर बने पार्क पर मिलने के लिए कहा जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री सुण्डाराम हैड कानि. गाडी से षिवाजी पार्क से ही रवाना होकर परिवादी के पास मोती डूंगरी सर्किल पर बने पार्क पहूंचे जहॉ परिवादी अपनी गाडी वैगनार के पास खडा मिला जिसको अपनी गाडी में बैठा कर पूछा तो बताया सर मैं आपके पास कलेक्ट्रेट से रवाना होकर मैं व मेरा परिचित रिंकू मेरी दुकान पर मुंगस्का अलवर पहूंचे जहां मेरे परिचित रिंकू के पास डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के कार्यालय से उसके रीडर शौकत खान का फोन आया है और मेरे को कार्यालय में दुबारा बुला रहे है। रिंकू से उसके मुकदमें में पहले डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर का रीडर शौकत खान तीस हजार रूपये रिश्वत ले चुका है इसलिए रीडर शौकत खान रिंकू को जानता है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुनः परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री सुण्डाराम हैड कानि. को पूर्व से सुपुर्द किया हुआ डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें परिवादी व डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान की आज दिनांक 10.03.2025 की वार्ता रिकॉर्ड है। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को गाडी में बैठे ही श्री सुण्डाराम हैड कानि0 द्वारा चालू करवाकर परिवादी को दिया गया। परिवादी गाडी से उतर कर अपनी वैगनार गाडी में बैठकर रवाना हुआ। परिवादी की गाडी के पीछे पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री सुण्डाराम हैड कानि. के रवाना होकर भवानी तोप सर्किल से आगे कलक्ट्रेट परिसर पहूंचे जहॉ परिवादी गाडी से उतर कर डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के कार्यालय में जाने लगा उसके पीछे पीछे श्री सुण्डाराम हैड कानि. को रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही परिवादी व श्री सुण्डाराम हैड कानि. रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कराके आने के इन्तजार में अपनी प्राईवेट गाडी में ही इन्तजार करने लगा। लगभग 30-35 मिनट बाद परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा व श्री सुण्डाराम हैड कानि. कलक्ट्रेट परिसर से बाहर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की गाडी के पास आये जिन्हें गाडी में बैठाया गया और परिवादी ने अवगत कराया कि मैं डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के कार्यालय में पहूंच कर उनके रीडर शौकत खान से मिला तो मैने कहा आपका वो रिंकु के पास फोन गया था कि बुला रहे है वापिस इस पर डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर का रीडर शौकत खान ने कहा रिंकु के पास फोन इसलिए किया था उसने क्या कहा था आपसे कि मेरा काम कितने में हुआ है इस पर मैनें कहा तीस हजार में इस पर शौकत खान ने कहा अच्छो यू कह रहा के संबंध में बातचीत हो ही रही थी कि तभी डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर आ जाती है और स्टाफ से तथा रीडर शौकत खान से बात करती है तभी रीडर शौकत खान वोलता है आप जाओ अब आपको नहीं आना है हम आ जाएंगे आपके पास बात करने के लिये ठीक है इस कारण रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता नहीं हो सकी फिर मैं डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर कार्यालय से रवाना होकर नीचे आया जहॉ साईड में ले जाकर मेरे से आपके कार्यालय के श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया इसके बाद हम आपके पास आ गये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री सुण्डाराम हैड कानि. से डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी को डाक्टर पूनम co, sc/st cell के रीडर शौकत खान द्वारा पुनः बुलाने या स्वयं डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर कार्यालय जाने पर कार्यालय आने तथा पुनः

मांग सत्यापन कराने व गोपनीयता की हिदायत देकर परिवादी को उसकी गाडी से रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री सुण्डाराम हैड कानि. गाडी से एसीबी कार्यालय के लिए रवाना हुये। तत्पष्चात वक्त करीब 6.25 पी. एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री सुण्डाराम हैड कानि. के एसीबी कार्यालय अलवर पहूंचा अपने पास सुरक्षित रखे कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर को निकालकर जिसमें लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फॉल्डर 01 में परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा व डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के मध्य हुई वार्ताएं रिकॉर्ड है को लीड लगा कर सुना गया तो परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा व संदिग्ध आरोपी श्री शौकत खान के मध्य के परिवादी के पोते दिव्यांशु के खिलाफ दर्ज मुकदमें में वार्ता होना पाया गया है स्पष्ट रिश्वत मांग होना नहीं पाया गया है। जिस पर उक्त कार्यालय डिजीटल टेप रिकॉर्डर को बन्द कर मय एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगे हुये को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य से मुनासिंफ हिदायत के साथ श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 17.03.2025 को वक्त करीब 10.45 ए.एम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार के समक्ष एक व्यक्ति ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया और मन सहायक उप निरीक्षक को अपना नाम श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा बताते हुये बताया कि मेरी कल दिनांक 16.03.2025 को जरिये वाट्सअप कॉल श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई थी। जिन्होनें आपसे मिलने को कहा था। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। जिस पर मन सहायक उप निरीक्षक ने राजकार्य से कार्यालय से बाहर गये हुये श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी, अलवर से जरिये मोबाईल पर वार्ता कर परिवादी के बारे में अवगत करवाया गया तो श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी, अलवर द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देष दिये गये। इस पर मन सहायक उप निरीक्षक द्वारा ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देकर उनसे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा पुत्र श्री सूरजभान उम्र 83 वर्ष निवासी 47, पंचवटी अलवर होना बताया। तत्पश्चात वक्त करीब 11.15 ए.एम पर मन सहायक उप निरीक्षक द्वारा कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में पूर्व में लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फॉल्डर 01 में दिनांक 10.03.2025 को परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा व संदिग्ध आरोपी डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के मध्य दिनांक 10.03.2025 की वार्ता रिकॉर्ड है। उक्त टेप रिकॉर्डर को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर फॉल्डर 02 में मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी के समक्ष श्री भीमसिंह कानि0 192 को जरिये फर्द सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के पास जाकर आरोपी रीडर से अपने पौते दिव्यांशु का नाम सदर थाना अलवर में दर्ज मुकदमें नम्बर 127/25 से निकलवाने के लिए रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता करे तथा रीडर शौकत खान से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें साथ ही श्री भीम सिंह कानि. को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देष देकर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद कानि0 श्री भीम सिंह को परिवादी के साथ जाने एवं बाद मांग सत्यापन वार्ता होने पर परिवादी को साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत देकर जरिये मोटरसाईकिल से कलैक्ट्रेट परिसर अलवर में स्थित co, sc/st cell अलवर के कार्यालय लिए समय 11.15 एम पर रवाना किया गया। तत्पष्चात वक्त करीब 1.00 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री भीमसिंह कानि0 192 ने जरिये वाटसएप कॉल मन सहायक उप निरीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी की संदिग्ध आरोपी रीडर से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता हो गई है जिस पर भीम सिंह कानि. ने मन सहायक उप निरीक्षक से परिवादी से वार्ता करवाई गई तो परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा ने अवगत कराया कि मैं और आपका कर्मचारी ब्यूरों कार्यालय से रवाना होकर भवानी तोप सर्किल अलवर के नजदीक पहूंचे जहाँ पर श्री भीम सिंह ने समय करीब 11.45 एएम पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर मुझे सुपुर्द किया, जिसको अपने साथ लेकर मैं कलैक्ट्रेट परिसर अलवर स्थित डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के कार्यालय के कमरे में गया जहाँ रीडर शौकत खान कुर्सी पर बैठा मिला और बोला कि आपके मामले पर अधिकारी से आज ही मेरी बात हुई है क्या नाम बता के गये थे दिव्यांशु और बताया अभी मेडीकल रिपोर्ट वगैरा कम्पलीट आ गई है आपके लडके ने उन्होने सर फोडा है उसमें आपके लडके का भी नाम लिखाया है तथा अधिकारियों को मैनें बताया है कि वो थोडा नाबालिक है नाबालिक होने का कागज है क्या मार्कशीट वगैरा इस पर मैनें कहा मिल जायेगी, रीडर बोला एक बार उसको पूछताछ के लिए लाना पडेगा आपको और इन्वोल्ड को हटाने में थोडी दिक्कत आवे है इस पर मेरे द्वारा सेटिंग हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है कहने पर रीडर शौकत खान ने अपने दाहिने हाथ की एक अंगुली उठाते हुये एक लाख का ईशारा किया इस पर मैनें कहा नहीं बाबूजी नहीं इतने में नहीं देखो बाबूजी विश्वास करो परमात्मा जानता है मैं पेंशन से इनको पाल रहा हूं उसका बाप एक पैसा भी नहीं कमाता दस पैसा भी नहीं कमाता मैं पेंशन मे पाल रहा हूं कैसे पाल रहा हूं इसकी एक बहन छोटी नवीं में पढ रही है वो बडी है ऐम्स में है मैनें होम लोन ले रखा है

एमपीओ वगैरा पर होम लोन लिया है उसको पूरा किया है कुर्की ना हो जाये इतने नहीं दे पाऊंगा तीस चालीस तक दे दुंगा एक लाख बहुत ज्यादा है और मेरे द्वारा काफी निवेदन करने पर आरोपी द्वारा पचास हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई है और आपके पोते को कोई दिक्कत नहीं आयेगी नाम कट जायेगा। पांच दिन में रिश्वत के पैसे लाने को कहा गया है। मेरे, एवं संदिग्ध आरोपी रीडर शौकत खान के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया तत्पष्चात, श्री भीम सिंह के पास आकर मैंने अपने पास से चालू हालत में ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री भीम सिंह को दे दिया और भीमसिंह ने उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया है। परिवादी द्वारा बताये उक्त तथ्यों की पूछने पर श्री भीमसिंह द्वारा भी ताईद की गई। तत्पष्चात मन सहायक उप निरीक्षक ने परिवादी को श्री भीम सिंह कानि. के साथ आने को कहा तो परिवादी ने कहा कि साहब मेरी तबीयत खराब है। मैं पैसे की व्यवस्था करके आपके कार्यालय आ जाऊंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत दी गई तथा श्री भीम सिंह कानि0 को डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित अपने पास रख कर कार्यालय आने के निर्देष दिये गये। तत्पष्चात वक्त करीब 1.35 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री भीम सिंह कानि 192 कार्यालय में उपस्थित आया और अपने पास से कार्यालय का विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर निकालकर मन सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द किया गया और बताया कि मैं व परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा ब्यूरों कार्यालय से रवाना होकर भवानी तोप सर्किल अलवर के नजदीक पहूंचे जहॉ पर मैने समय करीब 11.45 एएम पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर कलैक्ट्रेट परिसर अलवर स्थित डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के कार्यालय के कमरे में गया जिस पर मैने निगरानी रखी करीब आधा पौन घण्टे बाद परिवादी उक्त डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के कार्यालय से बाहर निकला व मेरें पास आया और चालू हालात में डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मैने सुरक्षित मेरे पास रख लिया तथा परिवादी ने बताया रीडर शौकत खान कुर्सी पर बैठा मिला और बोला कि आपके मामले पर अधिकारी से आज ही मेरी बात हुई है क्या नाम बता के गये थे दिव्यांशु और बताया अभी मेडीकल रिपोर्ट वगैरा कम्पलीट आ गई है आपके लडके उन्होने सर फोडा है उसमें आपके लडके का ही नाम लिखाया है तथा अधिकारियों को मैनें बताया है कि वो थोडा नाबालिक है नाबालिक होने का कागज है क्या मार्कशीट वगैरा इस पर मैनें कहा मिल जायेगी, रीडर बोला एक बार उसको पूछताछ के लिए लाना पडेगा आपको और इन्वोल्ड को हटाने में थोडी दिक्कत आवे है इस पर मेरे द्वारा सेटिंग हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है कहने पर रीडर शौकत खान ने अपने दाहिने हाथ की एक अंगुली उठाते हुये एक लाख का ईशारा किया इस पर मैनें कहा नहीं बाबूजी नहीं इतने में नहीं देखो बाबूजी विश्वास करो परमात्मा जानता है मैं पेशंन से इनको पाल रहा हूं उसका बाप इसका एक पैसा भी नहीं कमाता दस पैसा भी नहीं कमाता मैं पेशंन से पाल रहा हूं कैसे पाल रहा हूं इसकी एक बहन छोटी नवीं में पढ रही है वो बडी ऐम्स में है मैनें होम लोन ले रखा है एमपीओ वगैरा पर होम लोन लिया है उसको पूरा किया है कुर्की ना हो जाये इतने नहीं दे पाऊंगा तीस चालीस तक दे दुंगा एक लाख बह्रोत ज्यादा है और मेरे निवेदन करने पर आरोपी द्वारा पचास हजार रूपये रिश्वत की मांग की है और आपके पोते को कोई दिक्कत नहीं आयेगी नाम कट जायेगा। पांच दिन में रिश्वत के पैसे लाने को कहा गया है। मेरे, एवं संदिग्ध आरोपी रीडर शौकत खान के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया तत्पष्चात इसके बाद मैनें श्री महेन्द कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वाट्सअप कॉल कर परिवादी से वार्ता करवाई थी तो परिवादी ने उपरोक्त बात फोन पर आपको बता दी थी। आपके निर्देषानुसार परिवादी को वहीं छोडकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित अपने पास रख कर कार्यालय आ गया। तत्पष्चात मन सहायक उप निरीक्षक द्वारा उक्त रिकार्ड वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फॉल्डर 02 को चालू कर सुना जाकर कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया और उपरोक्त हालात श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वाट्सएप कॉल अवगत करवाये गये। फर्द वापसी डिजीटल वॉईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पष्चात दिनांक 19.03.2025 को वक्त करीब 10.00 एएम श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, भ्रनिब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा पुत्र स्वर्गीय श्री सूरजभान उम्र 83 वर्ष निवासी 47, पंचवटी अलवर मे संबंधित पत्रावली मय दिनांक 17.03.2025 की कार्यवाही के रनिंग नोट तथा रिश्वत मांग सत्यापन का विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार को सुपुर्द किया। सहायक उप निरीक्षक द्वारा सुपुर्द पत्रावली एवं रनिंग नोट का अवलोकन किया गया तथा विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फॉल्डर 02 में दिनांक 17.03.2025 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो उक्त वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी के पोते दिव्यांशु को उसके खिलाफ दर्ज मुकदमें में कोई दिक्कत नहीं आयेगी नाम कट जायेगा की एवज में संदिग्ध आरोपी द्वारा पचास हजार रूपये रिश्वत राशी मांगने की वार्ता स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होना पाई गई। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त रिकार्ड वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पष्चात वक्त करीब 5.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा का वाट्सअप कॉल आया और बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.03.2025 को श्री शौकत खान, रीडर ने मुझसे मेरे पौते दिव्यांशु की

उम्र से संबंधित डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा था, उक्त डॉक्यूमेंट कल दिनांक 20.03.2025 को देन उसके कार्यालय में जाऊंगा हो सकता है जब मैं आरोपी के पास जाऊ तो आरोपी रिश्वत के संबंध में अन्य वार्ता कर सकता है। मैं उक्त वार्ता को आपके विभाग के टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड करवाना चाहता हूं। इस मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को कल दिनांक 20.03.2025 को राजकार्य से जयपुर जाने के संबंध में बताया और परिवादी को निर्देषित किया कि आप कल दिनांक 20.03.2025 को जब भी आरोपी के पास अपने पौते दिव्यांशु का उम्र संबंधित दस्तावेज देने के लिए जाये तो उससे पहले एसीबी कार्यालय में श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक पास जाकर से मिल लेना मै उनहे अवगत करवा दूंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया गया एवं परिवादी से आज वाट्सअप पर हुई वार्ता के बारे में बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.03.2025 को परिवादी के पौते दिव्यांशु की उम्र से संबंधित डॉक्युमेंट देने के लिए कहा था, उक्त डॉक्यूमेंट परिवादी कल दिनांक 20.03.2025 को आरोपी को देने सीओ कार्यालय एससी एसटी सैल अलवर में जाने के लिए कहा है, हो सकता है परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य रिश्वत मांग के संबंध में और वार्ता हो सकती है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कल दिनांक 20.03.2025 को राजकार्य से जयपुर जाना है। इसलिए परिवादी से अग्रिम कार्यवाही हेतू दिनांक 20.03.2025 को कार्यालय में आपसे मिलने को कहा गया है, परिवादी से संबंधित पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व रनिंग नोट एवं कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकालकर जिसमें लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसके फॉल्डर 01 व 02 में परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा व डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के मध्य दिनांक 10.03.2025 व 17.03.2025 को हुई वार्ताएं रिकॉर्ड है को सुरक्षा की दृष्टि से डिजीटल टेप रिकॉर्डर से निकाल कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया व डिजीटल टेप रिकॉर्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक सुपुर्द किया किया गया तथा उसी अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पष्चात दिनांक 20.03.2025 को वक्त करीब 1.35 पी.एम पर मन सहायक उप निरीक्षक पुलिस नरेन्द्र कुमार के समक्ष परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया और बताया कि मेरी कल दिनांक 19.03.2025 को जरिये वाट्सअप कॉल श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई थी। जिन्होनें आपसे मिलने को कहा था। जिन्हें कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। इस समय मन सहायक उप निरीक्षक द्वारा कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB निकाला गया। उक्त टेप रिकॉर्डर को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी के समक्ष श्री भीमसिंह कानि0 192 को जरिये फर्द सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के पास जाकर आरोपी रीडर से अपने पौते दिव्यांशु की उम्र से संबंधित डॉक्यूमेंट देने के संबंध में वार्ता करे तथा रीडर शौकत खान से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें साथ ही श्री भीम सिंह कानि. को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देष देकर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद कानि0 श्री भीम सिंह को परिवादी के साथ जाने एवं बाद मांग सत्यापन वार्ता होने पर परिवादी को साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत देकर जरिये मोटरसाईकिल से कलैक्ट्रेट परिसर अलवर में स्थित co, sc/st cell अलवर के कार्यालय लिए रवाना किया गया। तत्पष्चात वक्त करीब 2.10 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री भीमसिंह कानि0 192 मय परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा कार्यालय में उपस्थित आये जिनको कक्ष में बैठाया गया इसके बाद श्री भीमसिंह कानि0 ने अपने पास से कार्यालय का विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर निकालकर मन सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द किया गया जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया, इसके बाद श्री भीमसिंह कानि0 ने परिवादी के समक्ष मन सहायक उप निरीक्षक को बताया कि आपके निर्देषानुसार मैं व परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा ब्यूरों कार्यालय अलवर से रवाना भवानी तोप सर्किल अलवर के नजदीक पहूंचे जहॉं पर मैने समय करीब 01०:05 पीएम पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को सुपुर्द किया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर कलैक्ट्रेट परिसर अलवर स्थित डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के कार्यालय के कमरे के अन्दर चला गया जिस पर मैने निगरानी रखी करीब 30 मिनट बाद परिवादी कलैक्ट्रेट परिसर अलवर के भवन से बाहर निकला व मेरें पास आया और चालू हालात में डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मैने सुरक्षित मेरे पास रख लिया और परिवादी को साथ लेकर कार्यालय आया और टेप रिकॉर्डर आपको सुपुर्द कर दिया इसके बाद उपस्थित परिवादी ने मन सहायक उप निरीक्षक को बताया मैं भीमसिंह के साथ आपके कार्यालय से रवाना होकर भवानी तोप सर्किल अलवर पहूंचे जहा पर भीमसिंह ने मुझे कार्यालय का टेप रिकॉर्डर चालू कर दे दिया, इसके बाद मैं उक्त चालू टेप रिकॉर्डर लेकर कलैक्ट्रेट परिसर अलवर स्थित डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के कार्यालय के कमरे के अन्दर गया जहॉं रीडर शौकत खान

उपस्थित मिला जिसने मेरे से मैनें पौते दिव्यांशु की उम्र से संबंधित डॉक्यूमेंट ले लिया है और कहा है कि जैसी भी बात होगी मैं आपसे आके मिलूंगा आपके घर पर या मैंने आपके नम्बर लिख रखे है मैं आपको फोन करूंगा आप रिश्वत के पैसे ले आना और ये भी कहा है कि मैं बुलाऊ तभी ऑफिस आना है नही तो मैं आपके पौते दिव्यांशु का नाम मुकदमें से नहीं हटाऊंगा फिर आप चाहे कहीं भी चले जाना, उक्त सारी वार्ता जो मेरे और श्री शौकत अली, रीडर के मध्य हुई है को मैंने आपके सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया इसके बाद मैं कलैक्ट्रेट परिसर से बाहर निकलकर चालू टेप रिकॉर्डर भीम सिंह को दे दिया। भीमसिंह ने टेप रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया और इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर कार्यालय में आपके पास आ गये। तत्पष्चात मन सहायक उप निरीक्षक द्वारा उक्त रिकार्ड वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के फॉल्डर 01 में परिवादी की संदिग्ध आरोपी श्री शौकत खान से परिवादी के पौते दिव्यांशु की उम्र से संबंधित डॉक्यूमेंट व संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी को कहा गया जैसी भी बात होगी मैं आपसे आके मिलूंगा आपके निवास पर या मैंने आपके नम्बर लिख रखे है मैं आपको फोन करूंगा आप रिश्वत के पैसे ले आना और ये भी कहा है कि मैं बुलाऊ तभी ऑफिस आना है नही तो मैं आपके पौते दिव्यांशु का नाम मुकदमें से नहीं हटाऊंगा फिर आप चाहे कहीं भी चले जाना इत्यादि वार्ता स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होना पाई गई। मन सहायक उप निरीक्षक द्वारा उक्त रिकार्ड वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया।तत्पष्चात दिनांक 21.03.2025 को वक्त करीब 10.00 ए.एम पर श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, भ्रनिब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने परिवादी नाम श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा पुत्र श्री सूरजभान उम्र 83 वर्ष निवासी 47, पंचवटी अलवर से संबंधित पत्रावली मय कार्यवाही के रनिंग नोट तथा रिश्वत मांग सत्यापन का विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय एम.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार को सुपुर्द किया। सहायक उप निरीक्षक द्वारा सुपुर्द पत्रावली एवं रनिंग नोट का अवलोकन किया गया तथा विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फॉल्डर 01 में दिनांक 20.03.2025 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो उक्त वार्ता में संदिग्ध आरोपी शौकत खान द्वारा परिवादी के पौते दिव्यांशु की उम्र से संबंधित डॉक्यूमेंट व संदिग्ध आरोपी शौकत खान द्वारा परिवादी को कहा गया जैसी भी बात होगी मैं आपसे आके मिलूंगा आपके निवास पर या मैंने आपके नम्बर लिख रखे है मैं आपको फोन करूंगा आप रिश्वत के पैसे ले आना और ये भी कहा है कि मैं बुलाऊ तभी ऑफिस आना है नही तो मैं आपके पौते दिव्यांशु का नाम मुकदमें से नहीं हटाऊंगा फिर आप चाहे कहीं भी चले जाना इत्यादि वार्ता स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होना पाई गई। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त रिकार्ड वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पष्चात दिनांक 03.04.2025 को वक्त करीब 10.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अधीक्षक पुलिस के समक्ष परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा उपस्थित एसीबी कार्यालय आये। जिन्होने अवगत करवाया कि आज दिनांक 03.04.2025 तक डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान का मांगी गई रिश्वत राशी के लिए फोन आया है और ना ही वो मेरे घर पर आये है तथा मैं भी दिनांक 20.03.2025 के बाद डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के कार्यालय नहीं गया हूं। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पष्चात वक्त करीब 5.20 पी.एम पर श्री भीम सिंह कानि. के हमराह राज्य कर विभाग अलवर से दो कर्मचारी उपस्थित एसीबी कार्यालय आये, उपस्थित कार्मिकों से मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री स्व. श्री सोनीराम उम्र-37 वर्ष, जाति जाटव, निवासी ए-344 नई बस्ती देहली रोड दिवाकरी अलवर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत बिजनिश ऑडिट वाणिज्यिक कर विभाग अलवर व दूसरे ने श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री षिम्भूदयाल जाट उम्र-28 वर्ष, जाति जाट निवासी पुराना बस स्टैण्ड मालाखेडा जिला अलवर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत बिजनिश ऑडिट वाणिज्यिक कर विभाग अलवर बताया। उक्त दोनों गवाहान का आपसी परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश द्वारा दिनांक 10.03.2025 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पष्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशी के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया तथा दिनांक 10.03.2025 व दिनांक 17.03.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी व आरोपी रीडर शौकत खान के मध्य रूबरू वार्ताओं के रिकार्डषुदा एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को कार्यलय की आलमारी से निकालकर कार्यालय के अन्य डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर, डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय कम्प्यूटर में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डषुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री शौकत खान कार्यालय co, sc/st cell अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बताये अनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को संबंधित

वॉईस क्लिप मे मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु चार खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 व फोल्डर 02 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से चार पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर चारों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 a एवं A4 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क A1 A2 A3 को अलग-अलग प्लास्टिक के पेनड्राईव कवर में रखकर पेनड्राईव को कवर सहित प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर सीलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A4 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.03.2025 व 17.03.2025 रिश्वत मांग वार्ता रिकॉर्ड है को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उमे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा उक्त सिल्डशुदा एसडी कार्ड मार्क S व सिल्डशुदा पेन ड्राईव मार्क A-1, A-2 व मार्क A-3 को कार्यालय की आलमारी में चौकी हाजा के मालखाना में जमा करवाने हेतु सुरक्षित रखा गया। तत्पष्चात वक्त करीब 5.30 पी.एम पर परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा व दोनों गवाहान श्री प्रमोद कुमार तथा श्री देवेन्द्र कुमार के समक्ष परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा एवं संदिग्ध आरोपी श्री शौकत खान, रीडर, सीओ एससी एसटी सैल अलवर जिला अलवर के मध्य दिनांक 20.03.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रूबरू हुई वार्तालाप जो विभाग के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा था, उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले हुये एसडी मैमोरी कार्ड सहित को आज दिनांक 03.04.2025 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को विभागीय कम्प्यूटर में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई थी। उक्त वार्ता में परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा ने अपनी स्वयं व संदिग्ध आरोपी श्री शौकत खान, रीडर, सीओ एससी एसटी सैल अलवर जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु चार खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देषन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से चार पेनड्राईवों में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर चारों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 B2 B3 एवं B4 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क B1 B2 B3 को अलग-अलग प्लास्टिक के पेनड्राईव कवर में रखकर पेनड्राईव को कवर सहित प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 B3 अंकित कर सीलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B4 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया तथा उक्त सील्डशुदा पेन ड्राईव मार्क B1 B2 B3 को कार्यालय की आलमारी में चौकी हाजा के मालखाना में जमा करवाने हेतु सुरक्षित रखा गया। तत्पष्चात वक्त करीब 7.20 पी.एम परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशी के संबंध में सम्पर्क करने/मांगने या जरिये दूरभाष/मोबाईल फोन आने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने व ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने तथा गोपनीयता रखने की मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया गया तथा साथ ही दोनों स्वतन्त्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर तथा गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत देकर जाय तैनाती रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 7.04.2025 को वक्त करीब 6.00 पी.एम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा का वाट्सअप कॉल आया और बताया कि साहब आज दिनांक 07.04.2025 को मेरे घर पर डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान आये थे। मैं उस समय घर पर नहीं था। उन्होने मेरे पौते दिव्यांशु के बारे मे व मेरे बारे में पूछा कि वो कहा है। जिस पर मेरी पुत्रवधू ने कहा वो यहा नहीं है। वह अपना नाम शौकत खान बता रहा था तथा वह अपने मोबाईल नम्बर [redacted] लिखा कर गया है और बताया कि सर ये डाक्टर

पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान ही थे। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को हिदायत दी कि आपको आरोपी शौकत खान द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर [redacted] पर अभी बात नहीं करनी है आप कल कार्यालय में आकर ही दिये गये नम्बर पर बात करे, जिसे कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर सकें। तत्पश्चात दिनांक 08.04.2025 को वक्त करीब 11.00 पी.एम पर मन सहायक उप निरीक्षक पुलिस नरेन्द्र कुमार के समक्ष परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा उपस्थित कार्यालय आये और बताया कि मेरी कल दिनांक 07.04.2025 को जरिये वाट्सअप कॉल श्री महेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई थी। जिन्होनें आपसे मिलने को कहा था। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। जिस पर मन सहायक उप निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में पूर्व में लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फॉल्डर 01 में दिनांक 10.03.2025 को परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा व संदिग्ध आरोपी डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के मध्य दिनांक 20.03.2025 की वार्ता रिकॉर्ड है। उक्त टेप रिकॉर्डर को श्री भीम सिंह कानि. 192 द्वारा चालू करवाकर, परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर कॉल करवाई गई जिस पर परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा ने आरोपी को घर पर आने व मोबाईल नम्बर देने के बारे में बताया तो आरोपी शौकत खान ने कहा की मैं ही नम्बर देकर आया था और मैं बताऊ तभी बच्चे को लेकर आना है। आपको आने की जरूरत नहीं है। परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी रीडर शौकत खान के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। उक्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वाट्सअप कॉल निवेदन किये। तत्पश्चात वक्त करीब 12.10 पीएम पर परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशी के संबंध में सम्पर्क करने/मांगने या जरिये दूरभाष/मोबाईल फोन आने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने व ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने तथां गोपनीयता रखने की मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया गया। वक्त करीब 9.00 पीएम पर श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, भ्रनिब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने परिवादी नाम श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा पुत्र श्री सूरजभान उम्र 83 वर्ष निवासी 47, पंचवटी अलवर से संबंधित पत्रावली मय कार्यवाही के रनिंग नोट तथा रिश्वत मांग सत्यापन का विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार को सुपुर्द किया। सहायक उप निरीक्षक द्वारा सुपुर्द पत्रावली एवं रनिंग नोट का अवलोकन किया गया तथा विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फॉल्डर 01 में दिनांक 20.03.2025 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 08.04.2025 परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के मोबाईल नम्बर [redacted] पर के मध्य हुई वार्ता को सुना गया तो उक्त वार्ता में संदिग्ध आरोपी शौकत खान द्वारा परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा ने आरोपी के घर पर आने व मोबाईल नम्बर देने के बारे में बताया तो आरोपी ने कहा की मैं ही नम्बर देकर आया था और मैं बताऊ तभी बच्चे को लेकर आना है इत्यादि वार्ता स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होना पाई गई। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त रिकार्ड वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 10.06.2025 को वक्त करीब 3.30 पी.एम परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा उपस्थित कार्यालय आया एवं मेरे समक्ष उपस्थित होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे द्वारा दिनांक 10.03.2025 को आपके कार्यालय में डॉ.पूनम आरपीएस सीओ एससी/एसटी शैल अलवर व उसके रीडर श्री शोकत खान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। मेरे प्रार्थना पत्र पर आप द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 10.03.2025 व 17.03.2025 को मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायी गई थी जिसमें आरोपी श्री शौकत खान द्वारा 50000 रूपये रिश्वत की मांग की गई तथा उन्होंने मेरे पोते की उम्र संबंधित दस्तावेज लेकर मुझे आफिस आने को कहा जिस पर मैंने दिनांक 20.03.2025 को मेरे पोते की उम्र संबंधित कागजात श्री शौकत खान को दे दिये तब शौकत खान ने मुझसे कहा कि मेरे पास आपके नम्बर लिखे हुए हैं मैं आपको फोन करूंगा तब आपको मेरे पास आना है या फिर मैं खुद आपके घर कभी भी आकर आपसे पैसे ले लूंगा उसके बाद श्री शौकत अली द्वारा मुझसे सम्पर्क नहीं करने तथा मेरे पोते को पुलिस द्वारा नहीं बुलाने पर मैं सीओ एससी/एसटी कार्यालय अलवर में दो-तीन रोज पहले गया तो मुझे उस ऑफिस में शौकत अली नहीं मिलने पर मैंने अन्य स्टॉफ से मेरे पोते के केस के और शौकत खान के बारे में पूछा तो स्टॉफ ने श्री शौकत खान का अन्य जिले में ट्रांसफर होना बताया जिस पर मैंने केस के बारे में बातचीत की तो स्टॉफ ने केस की जॉच पूर्ण करना बताया। श्रीमान श्री शौकत खान का ट्रांसफर अन्य स्थान पर हो जाने से तथा मेरे पोते के विरूद्ध केस में अनुसंधान पूर्ण हो जाने से मुझसे कोई रिश्वत के संबंध में बातचीत नहीं करेगा। अब मैं मेरे प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने तथा विधि सम्मत अग्रिम कार्यवाही बाबत परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा द्वारा अपने हस्ताक्षरों से टाईपशुदा प्रार्थना पत्र पेष किया, जिस पर परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.06.2025 को पाबंदशुदा गवाहान श्री प्रमोद कुमार हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत बिजनिश ऑडिट वाणिज्यिक कर विभाग अलवर व श्री देवेन्द्र कुमार हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर

अधिकारी वृत बिजनिश ऑडिट वाणिज्यिक कर विभाग अलवर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान का पुनः आपसी परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा से करवाया गया और ब्यूरो द्वारा की गई अब तक की कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा द्वारा आज दिनांक 10.06.2025 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात वक्त करीब 4.30 पी.एम पर गवाह श्री प्रमोद कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री देवेन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा के समक्ष परिवादी, परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान मध्य दिनांक 20.03.2025 को रूबरू हुई वार्ता व दिनांक 08.04.2025 को मोबाईल पर हुई वार्ता के रिकार्डशुदा एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB सहित डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी से निकालकर, डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान के मध्य दिनांक 08.04.2025 को मोबाईल पर हुई वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री शौकत खान कार्यालय co, sc/st cell अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु चार खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देषन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से चार पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर चारों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क C1 C2 C3 aएवं C4 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क C1 C2 C3 को अलग-अलग प्लास्टिक के पेनड्राईव कवर में रखकर पेनड्राईव को कवर सहित प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क C1 C2 C3 अंकित कर सीलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को कागज की चिट सहित कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क C4 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को जिसमें वक्त-रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान मध्य दिनांक 20.03.2025 को रूबरू हुई वार्ता व दिनांक 08.04.2025 को मोबाईल पर हुई वार्ता रिकॉर्ड है को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S-1 अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। वक्त करीब 5.35 पी.एम पर कार्यवाही में सिल्डषुदा आर्टीकल एसडी कार्ड मार्क S व सिल्डषुदा पेन ड्राईव मार्क A-1, A-2, A-3 व मार्क B1 B2 B3 कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया था तथा आज दिनांक 10.06.2025 को जब्तपुदा एसडी कार्ड मार्क S-1 व जब्तषुदा सिल्डषुदा पेन ड्राईव मार्क C1 C2 C3 को मालखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। वक्त करीब 5.40 पी.एम पर परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा को मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। वक्त करीब 5.45 पी.एम पर गवाह श्री प्रमोद कुमार हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत बिजनिश ऑडिट वाणिज्यिक कर विभाग अलवर एवं श्री देवेन्द्र कुमार हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत बिजनिश ऑडिट वाणिज्यिक कर विभाग अलवर को बाद हिदायत कार्यालय से रूकसत किया गया। उपरोक्त की गई समस्त कार्यवाही एवं मौके के हालात से पाया गया की परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा पुत्र श्री सूरजभान उम्र 83 वर्ष निवासी 47, पंचवटी अलवर की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.03.2025, 17.03.2025, 20.03.2025 व 08.04.2025 एवं की गई समस्त कार्यवाही से डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर स्वयं के लिये परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा से पुलिस थाना सदर अलवर में दिनांक 4/3/25 को दर्ज FIR no. 127/25 श्री हेमन्त कुमार द्वारा दर्ज मुकदमे का अनुसंधान co, sc/st cell अलवर द्वारा किया जा रहा है, उक्त FIR में अन्य नामजद लोगों के साथ परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा के पोते श्री दिव्यांशु S/o श्री भारत को मुल्जिम नहीं बनाने व मुकदमे मे से नाम हटाने/हटवाने की एबज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.03.2025 को 50,000/-रूपये रिश्वत राशी की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया है अतः डाक्टर पूनम co, sc/st cell

अलवर के रीडर शौकत खान द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध आचरण अपनाकर स्वयं के लिये परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा पुत्र श्री सूरजभान उम्र 83 वर्ष निवासी 47, पंचवटी अलवर की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.03.2025, 17.03.2025, 20.03.2025 व 08.04.2025 एवं की गई समस्त कार्यवाही से डाक्टर पूनम co, sc/st cell अलवर के रीडर शौकत खान द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर स्वयं के लिये परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश अरोडा से पुलिस थाना सदर अलवर में दिनांक 4/3/25 को दर्ज FIR no. 127/25 श्री हेमन्त कुमार द्वारा दर्ज मुकदमे का अनुसंधान co, sc/st cell अलवर द्वारा किया जा रहा है, उक्त FIR में अन्य नामजद लोगों के साथ परिवादी चन्द्र प्रकाश अरोडा के पोते श्री दिव्यांशु S/o श्री भारत को मुल्जिम नहीं बनाने व मुकदमे मे से नाम हटाने/हटवाने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.03.2025 को 50,000/-रूपये रिश्वत राशी की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। अतः आरोपी श्री शोकत खां पुत्र श्री जसमाल खां उम्र 40 साल निवासी बडाबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर तत्कालिन हैड कानि. 116/301 कार्यालय वृताधिकारी एससी एसटी सैल अलवर हाल हैड कानि.870 पुलिस लाईन जिला राजसमन्द का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (महेन्द्र कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि.ब्यूरो अलवर..........कार्यवाही पुलिस........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शोकत खां पुत्र श्री जसमाल खां उम्र 40 साल निवासी बडाबास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर तत्कालीन हैड कानि.116/301 कार्यालय वृताधिकारी एससी एसटी सैल अलवर हाल हैड कानि.870 पुलिस लाईन जिला राजसमन्द के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 121 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1145-49 दिनांक 07.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर, 2. पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमन्द, 3. पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर 4.उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर-प्रथम, 5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 0[illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)